


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 130/2017

जिला-सिरोही

उनवान-मै. श्री के.सुब्रमणी पुत्र श्री कदप्पा उडयार, तपावठा काविलन,तमिलनाडु बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड व अपीलीय प्राधिकारी, प्रथम, वाणिज्यिक कर,जयपुर


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.01.2017	<p>एकलपीठ श्री सुनील शर्मा,सदस्य</p> <p>अपीलार्थी की ओर से श्री अलकेश शर्मा एव विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त अपील अपीलीय प्राधिकारी-प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.2017, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम ,2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है, के विरुद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी है, जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवंचन, घट द्वितीय,आबूरोड (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा)द्वारा की अधिनियम की धारा 76(6) व 76,(12) के अन्तर्गत आदेश दिनांक 19.12.2016 को पारित कर कायम की गई मांग राशि रु. 9,15,476/- में से रु. 4,60,000/- को स्थगित रखते हुए शेष मांग राशि रु. 4,55,476/-पर रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए उक्त मांग राशि की वसूली स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है।</p> <p>उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।</p> <p>बहस में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा होकर कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गई मांग राशि की वसूली पर रोक लगाने से इंकार करने संबंधी किसी प्रकार के कारणों का आदेश में अंकन नहीं किया गया है। उनके द्वारा सृजित मांग राशि बाबत प्रकरण व सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट करते हुए उक्त मांग वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी तथा अन्यथा स्थिति में अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क भी दिया गया।</p> <p>विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए सुविधा सन्तुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक सम्बन्धी प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।</p> <p>उभयपक्षीय की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन एवं उभय पक्षीय तर्कों पर विचार करने के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में है। लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध बकाया मांग राशि रु. 4,55,476/-की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले</p>	



हो, के लिए रोक लगायी जाती है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्पभावी समझा जावेगा एवं अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से आगामी 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है ।

निर्णय सुनाया गया ।


(सुनील शर्मा)
सदस्य